


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
कार्यालय-आदेश

वित्त विभाग राज.जयपुर के आदेश क्रमांक-एफ 6(6) ग्रुप-2/एफ.डी.
/रूल्स/2010 दिनांक- 25.04.12 के अन्तर्गत, एवं मेडिकल बोर्ड राजकीय चिकित्सालय,
नागौर की अभिशंषा के आधार पर श्री मोहम्मद असलम व्याख्याता उर्दू, राउमावि दूकोसी,
नागौर को उनके आवेदन पत्र प्राप्ति दिनांक 27.06.2019 से मूल वेतन का छः प्रतिशत (6%)
की दर से जो रूपये 600/- (अक्षरे रूपये छः सौ मात्र) से अधिक नहीं हो, का विकलांग
वाहन भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

इन्हे आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाशों का उपभोग करने की अवधि
का यथा ग्रीष्मावकाश, शीतकालीन अवकाश, मध्यावधि अवकाश तथा स्थानान्तरण/पदोन्नति
एवं अन्य किसी कारण कार्यग्रहण नहीं करने की अवधि का तथा लम्बित अवधि का विकलांग
वाहन भत्ता देय नहीं होगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 28/8/2019

क्रमांक:-शिविरा-माध्य/संस्था/सी-5/विकलांग वाहन भत्ता/2017-18
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक
3. संबंधित संस्था प्रधान
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिसिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ
6. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर